कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक /कोवडि–19/रेमडेसिविर इं0/ 2021–22 दिनांक

कार्यालय आदेश

अपर मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 812/ पांच–5–2021 दिनांक 04 मई, 2021 जो समस्त प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 उ0प्र0, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड–19 के सक्रमण के बढ़ने के कारण इसके इलाज में उपयोग किये जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंदों को उपलब्ध हो सके इसके लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्पश्चात राजकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों के नान इन्वेवि वेन्टिलेटर के शत प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत आक्सीजन बेड हेतु रेमडेसिविर उपलब्ध करवायी जायेगी।

जिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्साधिकारी के निवर्तन पर [redacted] वाइल उपलब्ध कराया जायेगा। इस संख्या में से 20 प्रतिशत उनके द्वारा आकस्मिकता एवं आवश्यकता के आधार पर सरकारी अस्पतालों/ चिकित्सा महाविद्यालायों के कमी होने पर तथा 80 प्रतिशत वायल्स किसी निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीज की जीवन रक्षा हेतु सीधे मरीज के परिजन को डाक्टर के पर्चे के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस हेतु निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज के परिजन के द्वारा रूपया 1800–00 प्रति वायल की धनराशि जिला रेडक्रास समिति के खाते में जमा की जायेगी । इस धनराशि की रसीद सम्बन्धित रोगी/ उसके परिजन को उपलब्ध करायी जायेगी। माह के अन्त में इस धनराशि का 75 प्रतिशत उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के खाते में स्थानान्तरण किया जायेगा। निजी अस्पताल के मरीज के परिजन को अस्पताल के पर्चे एवं मरीज के आधार कार्ड/ वोटर आई0डी0 कार्ड के आधार पर अधिकतम 06 वायल्स दिया जा सकेगा। जिसमं एक बार 03 वायल्स से अधिक नहीं दिया जायेगा।

रोगी को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने से पूर्व परीक्षण किया जाये कि रोगी किस चिकित्सालय में भर्ती है एवं वहां का रेमडेसिविर डोज हेतु उसके पास पर्ची उपलब्ध है। इसमें मण्डलायुक्त मण्डल में चिकित्सा सुविधा एवं मेडिकल कालेजों के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी के परामर्श से पुनः आवंटन कर सकते है।

4– उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए से उपवरोक्तानुसार विवरण प्राप्त कर रेमडेसिविल वायल्स की उपलब्धता के आधार पर जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी, जहां इन्हें कोविड में लगे एल–2, एल–3 अस्तालों को उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5– उक्त रेमडेसिविर इन्जेक्शन जिन रोगियों को दिया जायेगा, उन रोगियों का रिकार्ड भी रखा जायेगा। उक्त रिकार्ड के आधार पर रेमडेसिविर क वितरण की आंडिटिंग भी की जायेगी।

इस हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाना है। सर्वप्रथम रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्राप्त हेतु निजी अस्पताल में भर्ती परिजन को अस्पताल का पर्चा लाना होगा, जिस पर वहां के चिकित्सक द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाये जाने का उल्लेख हो यह पर्चा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0के0एन0एम0 त्रिपाठी मो0 नं0 9721285602 एवं उनके सहयोग में फाइलेरिया निरीक्षक, श्री के0के0 गुप्ता के पास जाकर पर्चे एवं आधार कार्ड तथा अभिलेखों की पुष्टि करेगें तथा उनके द्वारा इसका अनुमोदन किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी द्वारा नामित कर्मचारी/अधिकारी के पास मु0 1800–00 प्रति की दर से धनराशि जमाकर रसीद प्राप्त करेगें तथा उस रसीद के आधार पर श्री सुशील श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट सी0एम0एस0डी0 स्टोर से रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करेगें। इसका पूरा लेखा जोखा रखा जायेगा जिसका सत्यापन प्रतिदिन श्री संजय जयसवाल, लेखाकार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सत्यापन कराया जायेगा। श्री जयसवाल द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता एवं प्रचार प्रसार हेतु

01–श्री दीपक जैन, संरक्षक, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी, मो0नं0,9415160063

Scanned with CamScanner

02–श्री प्रदीप सारंग, सचिव, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी, बाराबंकी, मो0नं0 9451946313
03–श्री शैलेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी,बाराबंकी,मो0नं0 9936932666
04–डा0 मंजूलता, सदस्य कार्यकारणी समिति, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी मो0नं094151418877
05–श्री शकील अहमद, सदस्य कार्यकारणी समिति, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी मो0नं09415774400
06–डा0सुविद्या वत्स, सदस्य कार्यकारणी समिति, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी मो0नं09415075744

रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारी द्वारा प्रचार प्रसार किया जायेगा। इनमें से एक या दो व्यक्ति सकामक रोग नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान करेगें।

अतः शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिकायत को गंभीरता से लिया जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।

पत्रांक /उपरोक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01– श्री संजय जयसवाल, लेखाकार, जि0ग्रा0वि0अभि0 बाराबंकी।
02– श्री सुशील श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट, सी0एम0डी0स्टोर, मु0चि0अ0कार्यालय बाराबंकी।
03– श्री के0के0 गुप्ता, फाइलेरिया निरीक्षक, मु0चि0अ0कार्यालय बाराबंकी।
04– जिला सूचना अधिकारी बाराबंकी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
05– डा0के0एन0एम0 त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, मु0चि0अ0कार्यालय बाराबंकी।
06– जिला विकास अधिकारी बाराबंकी।
07– डा0के0एन0एम0 त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, मु0चि0अ0कार्यालय बाराबंकी।
08– मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
09– मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।
10– श्री दीपक जैन, संरक्षक, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी/श्री प्रदीप सारंग, सचिव, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी, बाराबंकी/श्री शैलेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी,बाराबंकी//डा0 मंजूलता, सदस्य कार्यकारणी समिति, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी /श्री शकील अहमद, सदस्य कार्यकारणी समिति, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी/ डा0सुविद्या वत्स, सदस्य कार्यकारणी समिति, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
बाराबंकी।

Scanned with CamScanner